कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर, जिला सलूम्बर

प्रार्थी श्रीमती लीला व अन्य — **विपक्षी** श्री मावा व अन्य

किस्म धारा–212 आर.टी.ए. — **प्रकरण संख्या** 121/2022

	कार्यवाही विवरण
18–12–2024	–:निर्णयः–

उपस्थितः–श्री प्रकाश जोशी अधिवक्ता–प्रार्थीगण
विपक्षीगण–एकपक्षीय

प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 जा.दि. व धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 सगे भाई–बहन होकर स्वर्गीय भोगा पिता कचना मीणा निवासी उमडा मांडली, तहसील झल्लारा की जायंदा संतान है। विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थीगण के हिस्से की अविभाजित भूमि जो ग्राम उमडा(माण्डली) मे स्थित है का 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 2 को दिनांक 29–09–2022 को विक्रय कर दिया है जिससे यह प्रार्थना पत्र उक्त दोनो के खिलाफ पेश है। प्रार्थना–पत्र की कलम संख्या 4 की उपकलम संख्या (अ)– जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 आराजी नम्बर 425 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, (ब)–जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 आराजी नम्बर 284 रकबा 0.340 हैक्टेयर व (स)–जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 मौजा उमडा प.ह. झल्लारा खाता संख्या 24 कुल किता 8 रकबा 1.0500 हैक्टेयर वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 का 1/8 प्रत्येक का बराबर हिस्सा है परन्तु उक्त भूमि जो कलम संख्या 4 (अ) व (स) में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी संख्या 7 व विपक्षी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। कलम संख्या 4 (ब) में वर्णित कृषि भूमि में विपक्षी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। कलम संख्या 4 (ब) में वर्णित कृषि भूमि को प्रार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 के पिता भोगा पिता कचरा द्वारां क्रय कि गई जो पिता भोगा की मृत्यु के बाद बडे भाई विपक्षी संख्या 1 एवं परिवार का मुखिया होने से पंजीयन किया गया है जबकि उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 का बराबर–बराबर हिस्सा है। विपक्षी संख्या 1 ने उक्त कलम संख्या 4 (स) में वर्णित कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा गैर कानुनी तरीके से बिना किसी बटवारे के विपक्षी संख्या 2 को दिनांक 29–09–2022 को विक्रय कर दिया है। विपक्षी संख्या 02 अजनबी क्रेता होकर वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमदा हो रहा है तथा अपनी मर्जी से रोड की भूमि पर जबरन कब्जा करने पर उतारू हो रहा है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण के पक्ष में विपक्षी संख्या 1 व विपक्षी संख्या 2 अजनबी क्रेता के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा पारित फरमावे की वे ताफैसला मुलवाद वादग्रस्त भूमि में किसी भी हिस्से को विक्रय, बक्षीश ईत्यादी किसी भी व्यक्ति को नही करे तथा प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में दखल पैदा नही करें।

सहायक कलक्टर स.
जिला सलूम्बर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर, जिला सलूम्बर

प्रार्थी श्रीमती लीला व अन्य | विपक्षी श्री मावा व अन्य

किस्म धारा–212 आर.टी.ए. | **प्रकरण संख्या** 121/20

कार्यवाही विवरण

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण की आरे से अधिवक्ता श्री दिनेश मीणा ने वकालतनामा पेश किया । प्रकरण मे आदेषिका दिनांक 02–11–2022 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। तथा जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेष नही किया। आदेशिका दिनांक 04–12–2024 को विपक्षीगण मय अधिवक्ता के गैर हाजिर रहने से विपक्षीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तद्पश्चात पत्रावली मे प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बह समे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं मूलवाद के निस्तारण तक पूर्व जारि अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

हमने विद्ववान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। विपक्षीगण ने न्यायालय मे हाजिर होकर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के खण्डन मे कोई जवाब पेश नही किया। अतः आदेशिका दिनांक 02–11–2022 को जारि अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूलवाद के निस्तारण तक कन्फ़र्म की जाती है एवं विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से मूलवाद के निस्तारण तक पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थना–पत्र मे वर्णित आराजीयात की भूमि पर मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

पत्रावाली फैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय दिनांक 18–12–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर सलूम्बर, सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(पर्वतसिंह चूण्डावत RAS)

सहायक कलेक्टर, सलूम्बर

जिला सलूम्बर